जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

ब्लॉक आपूर्ति का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा

— सावंत

जयपुर, 11 अप्रेल। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने ब्लॉक आपूर्ति का उल्लंघन कर निर्धारित समय से अधिक बिजली देने वाले अभियन्ताओं पर सख्ती करने का निर्णय किया है। निगम ने ऐसे 26 अभियन्ताओं को चिन्हित भी कर लिया है और उन्हें दण्डित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

यह जानकारी देते हुए निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया कि इसके तहत पिछले 7 माह में एक ही फीडर पर ब्लॉक बिजली आपूर्ति का 5 बार उल्लंघन करने वाले की एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी एवं 5 बार से अधिक उल्लंघन करने वाले की दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड से दण्डित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में जिन गावों का विद्युतिकरण पूरा हो गया है वहां बिजली कनेक्शन देने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर अगले माह में कैम्प आयोजित करने की योजना बनावें।

उन्होंने अभियन्ताओं को निर्देश दिए है कि 6 माह से अधिक समय से खराब चल रहे मीटरों को प्राथमिकता से आगामी 2 माह में बदलने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इससे जहां एक ओर डिस्कॉम के राजस्व में बढोतरी होगी वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता को सही रीडिंग का बिल देने से विवाद की स्थिति भी उत्पन्न नही होगी।

श्री सावंत ने कहा कि शहरी कस्बों में तकनीकी एवं वाणिज्यि हानि को कम करने के लिए 10 दिन में प्लान बनाकर आगामी 3 माह में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कम करने की कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही हानि आधारित बिजली आपूर्ति प्रबधंन (एलबीएसएम) में जिन फीडरों का लॉस 30 प्रतिशत आ गया है उसकी सूचना भेजने के साथ ही अन्य अधिक हानि वाले फीडरों का चयन कर उन पर हानि 30 प्रतिशत लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी हालात में छीजत 3 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए एवं इसको 2 प्रतिशत के स्तर तक लाने के प्रयास करने चाहिए।

श्री सावंत ने सोमवार को विद्युत भवन में डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों बैठक ली जिसमें सभी जिलों से आए निगम के अधिशाषी अभियन्ता से लेकर मुख्य अभियन्ता उपस्थित रहे। बैठक में कार्य प्रदर्शन सूचकांक (केपीआई), सिंगल फेज एवं थ्री फेज के खराब मीटरों को बदलना, ब्लॉक आपूर्ति के उल्लंघन की स्थिति, औधोगिक तथा शहरी क्षेत्रों के फीडरों पर समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि एवं 50 हजार रुपए से अधिक बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं द्वारा राशि नही चुकाने पर समय से कनेक्शन काटने की स्थिति सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई।

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 371/2016